बिहार सरकार

<u>वित्त विभाग</u>

<u>संकल्प</u>

487-वि०
दि० 15/1/14

विषयः- विभिन्न न्यायिक वादों में सरकार की ओर से तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु अधिवक्ताओं/सेवानिवृत पदाधिकारियों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक के पुनरीक्षण के संबंध में ।

वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7248 दिनांक 04.08.2011 द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु सुयेाग्य अधिवक्ताओं अथवा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम से सेवानिवृत अंग्रेजी जानने वाले सुयेाग्य पदाधिकारियों/कर्मचारियों की एक सूची अपने स्तर पर तैयार कर सकेंगे एवं तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु उनकी सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे एवं प्रत्येक तथ्य विवरणी तैयार करने के लिए संबंधित अधिवक्ता/सेवानिवृत सरकारी सेवक को अधिकतम छः सौ रूपया तक भुगतान किया जा सकेगा तथा प्रारूप की अंग्रेजी प्रति टंकित कराने हेतु (आशु लेखन सहित) अधिकतम एक सौ पचास रूपये का भुगतान किया जा सकेगा जिसकी स्वीकृति देने हेतु सरकार के प्रधान सचिव/सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी सक्षम होंगे । यह भुगतान ''13 05-विधि प्रभार'' मद से किया जायेगा । व्यय उपलब्ध बजट उपबंध के अन्तर्गत सीमित रहेगा ।

2. उक्त संकल्प में निहित निदेशों के कार्यान्वयन के क्रम में यह महसूस किया गया है कि ऊपर अंकित निर्धारित दर पर सुयेाग्य अधिवक्ता/सेवानिवृत सरकारी सेवक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं । ऐसी परिस्थिति में सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि गुणवत्तापूर्ण तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु वाह्य अधिवक्ता/सेवानिवृत सरकारी पदाधिकारी की सेवा लेने पर प्रति तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु अधिकतम बारह सौ रूपया का भुगतान किया जा सकता है, इसके अलावे प्रारूप की अंग्रेजी प्रति टंकित करने हेतु अधिकतम तीन सौ रूपये देय होंगे ।

3. प्रशासी विभाग ऐसी सेवाएं प्राप्त करने का निर्णय तभी ले जब विभाग में पदाधिकारियों की कमी हो या/ और वादों की संख्या अधिक हो ।

4. इस संबंध में पूर्व निर्गत आदेशों को इस हद तक संशोधित समझा जाय । यह निर्णय निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा ।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

15.1.14

(प्रभात शंकर)
अपर सचिव ।

ज्ञापांक- वि0प्र0-12-56/2010 ....487-वि0.... दिनांक ....15/1/14....

प्रतिलिपिः- महालेखाकार,बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

15.1.14

(प्रभात शंकर)
अपर सचिव ।

ज्ञापांक- वि0प्र0-12-56/2010 ....487-वि0.... दिनांक ....15/1/14....

प्रतिलिपिः- सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला पदाधिकारी,बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

15.1.14

(प्रभात शंकर)
अपर सचिव ।

ज्ञापांक- वि0प्र0-12-56/2010 ....487-वि0.... दिनांक ....15/1/14....

प्रतिलिपिः- ई गजट प्रशाखा, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

15.1.14

(प्रभात शंकर)
अपर सचिव ।